रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230870
CG-DL-E-01112021-230870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4186] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 01, 2021/कार्तिक 10, 1943
No. 4186] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 01, 2021/KARTIKA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

का.आ. 4547(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी करने का विचार रखती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार उससे प्रभावित होने वाली जनता की सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जब इस अधिसूचना संबंधी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं; से 60 दिनों की अवधि के समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर, यदि कोई व्यक्ति कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर इसे केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ, लिखित में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली -110003 को या मंत्रालय के ई-मेल पते h.kharkwal@nic.in और saranya.p@gov.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) दिनांक 18 जनवरी, 2019 [इसमें इसके पश्चात तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 के रूप में उल्लिखित किया गया है] द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और विस्तार करने, प्रचालन और प्रसंस्करण पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को विभिन्न हितधारकों नामश: राज्य सरकारों और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में कतिपय संशोधनों को करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीआरजेड-। और सीआरजेड-IV क्षेत्रों में अवस्थित छोटी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों/राज्य सरकारों को सीआरजेड अनापत्ति प्रदान करने के लिए शक्तियों को प्रत्यायोजित करना, सीआरजेड-।ए क्षेत्रों को छोड़कर उसमें अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग और संबंद्ध सुविधाओं की छूट देना, सीआरजेड अधिसूचना, 2011 और दिनांक 3 मई 2017 को किए गए इसके संशोधन में पहले से उपलब्ध अस्थायी (समुद्र तट) बीच शैक्स के उपबंध को शामिल करने और उक्त उपबंध को सभी तटीय राज्यों में विस्तारित करने, मंत्रालय के दिनांक 9 जून, 2011 और 8 नवम्बर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पहले से उपलब्ध सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबधों के तहत पारम्परिक समुदायों द्वारा रेत रोधनों के हटाने को अनुमत करना और खंड 10.2 (iii) में तथ्यात्मक संशोधन करना शामिल है;

और जबकि, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एनसीजेडएमए) ने भी 23 मार्च, 2021 को हुई अपनी 42वीं बैठक में सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में उपरोक्त मुद्दों के संबंध में उपबंधों को शामिल करने की सिफारिश की है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 में निम्नलिखित आगे और संशोधन करती है, अर्थात् : -

1. पैराग्राफ 5.1.2 में, उप-खंड (xiii) के स्थान पर और पैरा 5.4 में उप-खंड (x) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

''तेल और प्राकृतिक गैस का विकास और उत्पादन और उससे संबंधित सभी सुविधाएं; अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग प्रचालनों को पूर्व सीआरजेड अनापत्ति से छूट दी जाएगी।''

2. पैरा 5.1.2 में, उप-खंड (xviii) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(xix) मानसून ऋतु के दौरान पूर्णत: अस्थायी और सीजनल संरचनाओं (शैक्स) को स्थापित और पर्याप्त सावधानियों के साथ उनका रखरखाव किया जाएगा।

गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के संबंध में, सितम्बर से मई तक के महीनों के बीच सामान्य रूप से स्थापित की गई ऐसी संरचनाओं (शैक्स) को जून से अगस्त तक के महीनों के दौरान रहने दिया जाएगा। बशर्ते कि इन संरचनाओं में उपलब्ध सुविधाएं जून से अगस्त तक के महीनों के दौरान अप्रचालित रहें।''

3. पैरा 7 में, उप-खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

''(i) इस अधिसूचना के उपबंधों से प्रभावित होने वाली सभी अनुज्ञेय या विनियमित परियोजना संबंधी कार्यकलापों को, अधिसूचना में यथा उल्लिखित उन विशेष व्यवस्थाओं को छोड़कर, उन्हें आरंभ करने से पूर्व सीआरजेड मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित होगा।''

4. पैरा 7 में उप-खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा; अर्थात् :-

''(ii) सीआरजेड-। और सीआरजेड-।V क्षेत्रों में संचालित सभी विकासात्मक कार्यकलापों या परियोजनाओं, जो इस अधिसूचना के अनुसार विनियमित या अनुज्ञेय है, के संबंध में निम्नलिखित अपवादों नामश: स्टैंड एलोन जेट्टी, तरंगरोधो (ब्रेकवाटर्स), ग्रॉइनस, साल्टवर्क्स, स्लिपवेज़ और हस्त-चालित क्षरण नियंत्रण बांधों, जिनपर ईआईए अधिसूचना, 2006 से प्रभावित होने वाली परियोजनाओं के मामले में, मामला-दर-मामला आधार पर संबंधित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण या एसईआईएए/मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी सहित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर सीआरजेड अनापत्ति प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी: परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की परियोजनाओं से संबंधित सभी निर्माण कार्यकलापों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर सीआरजेड अनापत्ति प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

5. पैरा 8 में, खंड (ii) में उप-खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

''(ड.) पैरा 7 खंड (ii) में अपवादों के रूप में सूचीबद्ध किए गए परियोजनाओं या कार्यकलापों पर, प्रस्तावक से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रदान करने

के लिए विचार किया जाएगा।

6. पैरा 8 में, खंड (i) में, उप-खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

''(ड.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर, पहचान किए गए अभिकरणों में से किसी अभिकरण द्वारा 1:4000 स्केल में तैयार किया गया सीआरजेड मानचित्र जिसमें एनसीएससीएम द्वारा किए गए अनुसार उच्च ज्वार रेखा या एलटीएल और ईएस आदि के सीमांकन का उपयोग किया गया हो।''

7. पैरा 10 में, खंड 10.2 में, उप-खंड (iii) रखा जाएगा अर्थात.:-

द्वीप समूह विनियमन जोन (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019, संख्या का.आ. 1242(अ), दिनांक 8 मार्च, 2019 के अनुसार लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में छोटे द्वीपसमूहों पर यथा-अनुप्रयोज्य एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं (आईआईएमपी) ऐसे सभी द्वीपों के लिए संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाएगी और अनुमोदन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी और आईआईएमपी के विरेचित होने तक इस अधिसूचना के उपबंध लागू नहीं होंगे और सीआरजेड अधिसूचना, 2011 संख्या का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुसार, सीजेडएमपी लागू होती रहेगी।

8. पैरा 10 में, खंड 10.3 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

''10.4 सीआरजेड क्षेत्रों में रेत रोधनों को हटाया जाना:

विभिन्न तटीय राज्यों में पारम्परिक तटीय क्षेत्र के समुदायों द्वारा अंतर्ज्वारीय क्षेत्र के भीतर केवल हस्त चालित प्रणाली से (अर्थात गैर-मशीनीकृत डिगिंयों में रेत का संग्रहण या मनुष्यों द्वारा टोकरियों/बाल्टियों का उपयोग कर के छोटी नावों द्वारा) रेत रोधनों को हटाया जाएगा। राज्य सरकार, हस्त चालित ढंग से रेत को हटाने के लिए अनुमत किए गए स्थानीय समुदायों के व्यक्तियों का पंजीकरण किए जाने की शर्तों के अध्यधीन विशिष्ट मात्रा सहित किसी विशेष क्षेत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि में रेत को इस तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है और उसे वार्षिक आधार पर नवीकृत करेगी।''

[फा. सं. 19-112/2013-आईए- III(पार्ट)]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेई, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में सा.का.नि. 37 (अ) दिनांक 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2021

S.O. 4547(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at h.kharkwal@nic.in and saranya.p@gov.in

Draft Notification

WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 [hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation

Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

AND WHEREAS, the Central Government have received representations from different stakeholders viz. the State Governments and Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) through Director General of Hydrocarbon (DGH) for making certain amendments in CRZ Notification 2019 *inter-alia* for delegating the powers of giving CRZ clearance to the State Coastal Zone Management Authorities/State Governments for small infrastructure projects located in CRZ-I and CRZ-IV areas, exempting exploratory drilling and associated facilities thereto except CRZ-IA areas, including the provision of temporary beach shacks as already available in CRZ Notification 2011 and its amendment dated 3th May 2017 and expanding the said provision to all coastal states, allowing removal of sand bars by traditional communities under the provisions of the CRZ notification, 2019, as already available through Ministry's Office Memorandum dated 9th June 2011 and 8th November 2011 and making factual correction in clause 10.2 (iii);

AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority (NCZMA) in its 42nd meeting held on the 23rd March, 2021 has also recommended the inclusion of provisions on the above issues in the CRZ Notification, 2019;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2019, namely: -

1. In paragraph 5.1.2, for sub-clause (xiii) and in paragraph 5.4, for sub-clause (x), the following sub-clause shall be substituted namely: -

"Development and Production of oil and natural gas and all associated facilities thereto; Exploratory drilling operations shall be exempted from prior CRZ clearance."

2. In paragraph 5.1.2, after sub-clause (xviii), the following sub-clauses shall be inserted, namely: -

"(xix) Purely temporary and seasonal structures (shacks) customarily put up and may be retained during the monsoon season with adequate precautions.

In respect of State of Goa and Maharashtra, such structures (shacks), customarily put up between the months of September to May, may be retained during the month of June to August. Provided that the facilities available in these structures shall remain non-operational during the month of June to August."

3. In paragraph 7, for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(i) All permitted or regulated project activities attracting the provisions of this notification shall be required to obtain CRZ clearance prior to their commencement except those special dispensation as mentioned in the notification".

4. In paragraph 7, for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(ii) All development activities or projects in CRZ-I and CRZ-IV areas, which are regulated or permissible as per this notification, shall be dealt with by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for CRZ clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority with the following exceptions namely: Stand-alone jetties, Breakwaters, Groynes, Salt works, Slipways and manual Erosion control bunds which shall be dealt by concerned Coastal Zone Management Authority or SEIAA/Ministry, as the case may be, in case the projects attract EIA Notification, 2006.

Note: *All construction activities related to projects of Department of Atomic Energy or Defence requirements, shall be dealt with by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for CRZ clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority.*

5. In paragraph 8, in clause (ii), after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely:

"(e) The projects or activities listed as exceptions in Para 7 clause (ii), shall be considered for clearance by the concerned Coastal Zone Management Authority within sixty days of the receipt of the complete proposal from the proponent."

6. In paragraph 8, in clause (i), for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

"(e) CRZ map in 1:4000 scale, drawn up by any of the agencies identified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time using the demarcation of the HTL, LTL and ESAs etc. as carried out by NCSCM."

7. In paragraph 10, in clause 10.2, sub-clause (iii) shall be substituted, namely: -

"Integrated Island Management Plans (IIMPs), as applicable to smaller islands in Lakshadweep and Andaman & Nicobar, as per Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019, number S.O. 1242 (E), dated the 8th March, 2019, shall be formulated by respective States or Union territory for all such islands and submitted to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and till the IIMPs are framed, provisions of this notification shall not apply and the CZMP as per provisions of CRZ Notification 2011 number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011, shall continue to apply."

8. In paragraph 10, after clause 10.3, the following paragraph shall be inserted, namely: -

*"**10.4 Removal of sand bars in CRZ areas:***

The sand bars in the intertidal areas shall be removed by traditional coastal communities only by manual method (i.e. sand collection in non-mechanized dinghies or small boats using baskets/buckets by human beings) in various coastal states. The State Government may permit such removal of sand in specified time period in a particular area along with specific quantity subject to conditions such as registration of local community persons permitted to remove the sand manually and shall be renewed on yearly basis."

[F. No. 19-112/2013 -IA III (pt)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.01 22:33:12 +05'30'